

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 53/2023

तारीख दायर 20/1/2023

रामी पत्नि स्व0 डालचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

लटूर पुत्र डूंगा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 26/1/23

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम बृजपुरा पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलिया की सरहद मे खाता संख्या 89 पर अंकित आराजी संख्या 10 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आराजी संख्या 388/9 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उक्त मौजा ग्राम बृजपुरा पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलिया की सरहद मे खाता संख्या 89 पर अंकित आराजी संख्या 10 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आराजी संख्या 388/9 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा  
बिजौलियाँ



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या -53/ 2023

तारीख दायर 20/1/2023

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :-प्रकरण संख्या53/ 2023 पत्थरगढ़ी बाबत।

रामी पत्नि स्व0 डालचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ  
जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

लटूर पुत्र डूंगा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा  
(राज0)

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम  
बृजपुरा पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलिया की सरहद मे खाता संख्या 89 पर अंकित  
आराजी संख्या 10 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आराजी संख्या 388/9 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल  
किता 2 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें।  
मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी  
कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।  
आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता  
हैं एवं कमिश्नर फीस 500/- रूप्ये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा । पत्थरगढ़ी  
करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपरखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा  
बिजौलियाँ